सं0सं0–1/रक्त–02/2017– 67(1)90

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक– 01/12/2017

विषयः– **रक्त भंडार (पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल), पटना को विपत्र कोड–20–2210012000008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 59,76,500/–(रुपये उन्सठ लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (रक्त भंडार), पटना के पत्रांक–395 दिनांक–05.10.2017 के आलोक में रक्त भंडार (पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल), पटना को विपत्र कोड– 20–2210012000008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू0 59,76,500/–(रुपये उन्सठ लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण प्रदान की जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0008.01.01 वेतन	7448000	5586000	1862000	7448000	0
0008.01.02 विशेष वेतन	20000	15000	5000	20000	0
0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	9756000	7317000	2439000	9756000	0
0008.01.04 मकान किराया भत्ता	1490000	1117500	372500	1490000	0
0008.01.05 परिवहन भत्ता	228000	171000	57000	228000	0
0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	60000	45000	15000	60000	0
0008.01.07 अन्य भत्ता	4000	3000	1000	4000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**19006000**	**14254500**	**4751500**	**19006000**	**0**
0008.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	150000	75000	75000	150000	0
0008.52.02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य	2300000	1150000	1150000	2300000	0
कुल योग–	**21456000**	**15479500**	**5976500**	**21456000**	**0**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य–शीर्ष–2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0008–रक्त भंडार, विपत्र कोड–20–2210012000008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जाएगी ।

क्रमशः

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0008.52.02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य ईकाइयों में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/रक्त–02/2017– 67(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 01/12/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/17
सरकार के विशेष सचिव